

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल चकिया, पूर्वी चम्पारण।

पत्रांक: 342 350 / दिनांक: 27-02-2025

सेवा मे,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय- नाबार्ड योजना अन्तर्गत 5 (पाँच) वर्षीय रख-रखाव के तहत निधि
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नाबार्ड योजना अन्तर्गत 5 (पाँच) वर्षीय रख-रखाव के तहत निधि, पथवार मांगी जाने वाली आवंटन की सूची पत्र के साथ भवदीय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार निधि आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त,

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल-चकिया

ज्ञापांक- 342

दिनांक- 27-02-2025

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी (नाबार्ड) / नोडल पदाधिकारी (MR (3054), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल-चकिया

राज्य योजना (नाबार्ड) अन्तर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचना प्रपत्र।

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकराशनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	व्यय की राशि वर्षवार (लाख में)					कुल राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनांक सहित पत्रांक (लाख में)	पंचवर्षीय अनुक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अनुक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक / दिनांक	मूल निर्माण कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान में अधियाचित राशि (लाख में)					कुल अधियाचित राशि (लाख में)	
			प्रथम वर्ष की राशि	द्वितीय वर्ष की राशि	तृतीय वर्ष की राशि	चतुर्थ वर्ष की राशि	पंचम वर्ष की राशि		प्रथम वर्ष की राशि	द्वितीय वर्ष की राशि	तृतीय वर्ष की राशि	चतुर्थ वर्ष की राशि	पंचम वर्ष की राशि												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	कार्य प्रमंडल, चकिया	Rampur Kolar to Baiyya (NABARD)	0.24692	0.34100	1.01098	1.34267	1.63853	4.58010	0.000	0.000	1.00620	1.33828	0.00	2.34448	146.100, Letter No.8712, Dated- 17.10.2017	5.03811	Letter No.8712, Dated- 17.10.2017	21.02.2019	0.000	0.000	0.000	0.000	1.63436	1.63436	1.63436

(1) कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।

(2) पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

(3) अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20: अधिकतम सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों को मात्रा का विस्तार का विवरणी

(4) अनुलग्नक- प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकराशनामा की अभिप्रमाणित प्रति।


कार्यप्रमुख, अधिप्रेषण
प्रमोण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल चकिया